

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0),
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त, जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0) मैनेजमेन्ट कमेटी
उत्तर प्रदेश।

संख्या: 5/555/2025-26/02/2022 लखनऊ

दिनांक 18 जून, 2025

विषय: स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अन्तर्गत फीकल स्लज मैनेजमेन्ट इकाई की स्थापना हेतु
आवश्यकतानुसार भूमि चिन्हांकन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या-एस-18/7/2025-SBM-III-DDWS दिनांक 20 मार्च 2025 के क्रम में दिनांक 10 मार्च 2025 को भारत सरकार के साथ सम्पन्न बैठक में प्रदत्त निर्देशों के अनुपालनार्थ FSM हेतु योजना बनाया जाना एवं लागू किया जाना है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार उपलब्ध कराये गये Manual: Faecal sludge Management 2021 में उल्लेखित व्यवस्थाओं के आधार पर भूमि चयन एवं अन्य कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा।

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) अन्तर्गत स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, 2025-26 में फीकल स्लज मैनेजमेन्ट इकाई की स्थापना हेतु 150 इकाई स्वीकृत है। जिसकी स्थापना हेतु कार्यवाही की जा रही है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृति के अनुसार प्रति जनपद 02 इकाई का निर्माण कराया जाना है। परन्तु जनपद अमरोहा एवं हापुड़ में 01-01 इकाई निर्मित हो गई है इस तरह इन जनपदों में आवश्यकता का आकलन कर के ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। ऐसे जनपद जहां नगर विकास विभाग द्वारा एफएसटीपी/एसटीपी को-ट्रीटमेन्ट इकाई की स्थापना नहीं है ऐसे जनपदों में प्राथमिकता के आधार पर इकाई का निर्माण कराया जायेगा।

वार्षिक कार्य योजनानुसार फीकल स्लज मैनेजमेन्ट इकाई की स्थापना हेतु जनपदों में कम से कम दो स्थल चिन्हित किये जाने आवश्यक हैं। FSAP निर्माण में स्थल का चयन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में निम्नलिखित बिन्दुओं का संज्ञान लिया जाना आवश्यक है-

1. पर्याप्त भूमि उपलब्धता

- ✓ FSAP की क्षमता के अनुरूप भूमि की उपलब्धता।
- ✓ सामान्यतः 6-10 KLD FSAP के लिए प्रति इकाई लगभग 1 एकड़ भूमि की आवश्यकता
- ✓ जनपद में ऐसी स्थल/भूमि का चयन किया जाना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक विकास खण्डों के ग्रामों को आच्छादित किया जा सके। जिनकी प्रस्तावित FSAP से अधिकतम दूरी 15km एवं पहुंच मार्ग सुगम हो।

2. भू-जल स्तर एवं भूमि का प्रकार

- ✓ जलभराव रहित, समतल और ठोस भूमि होनी चाहिए।
- ✓ भूमि ऐसी हो जहाँ भूजल स्तर अधिक ऊँचा न हो ताकि प्रदूषण की संभावना से बचा जा सके।

3. दूरस्थता (लोकेशन)

- ✓ नगरीय या ग्रामीण आबादी से न्यूनतम 250-500 मीटर की दूरी
- ✓ रिहायशी क्षेत्र से पर्याप्त दूरी बनाए रखना जरूरी है ताकि दुर्गंध, शोर या संक्रमण की समस्या न हो।

4. पहुँच मार्ग (Accessibility)

- ✓ स्थल तक टैंकर्स की आवागमन के लिए उपयुक्त सड़क मार्ग हो
- ✓ पूरे वर्ष सड़क सुगम और उपयोग में रहने योग्य हो।

5. जल निकासी एवं वर्षा जल प्रबंधन

- ✓ उचित जल निकासी (drainage) की व्यवस्था
- ✓ वर्षा के जल के निकास की समुचित व्यवस्था

6. पर्यावरणीय स्वीकृति और नियम

- ✓ भूमि पर कोई पर्यावरणीय प्रतिबंध न हो (जैसे वन क्षेत्र, जलाशय, नदी तट आदि)
- ✓ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमोदन के अनुरूप
- ✓ स्थानीय समुदाय की सहमति
- ✓ भूमि चयन से पहले ग्राम पंचायत/नगर निकाय और समुदाय से परामर्श आवश्यक
- ✓ सामाजिक स्वीकृति से प्रोजेक्ट की स्थिरता सुनिश्चित होती है।
- ✓ आबादी से दूरी, जलमराव की स्थिति, जलाशय से निश्चित दूरी आदि (According to SWM Rule 2016) का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए

7. भूमि का स्वामित्व

- ✓ सार्वजनिक भूमि को प्राथमिकता दें, ताकि अधिग्रहण की प्रक्रिया आसान हो
- ✓ यदि निजी भूमि ली जाए, तो स्पष्ट स्वामित्व दस्तावेज और सहमति आवश्यक है।

8. निकटवर्ती संसाधनों की उपलब्धता

- ✓ बिजली, पानी, और अन्य आवश्यक संसाधन स्थल के समीप हों।
- ✓ प्लांट के संचालन में 30 किलोवाट से अधिक बिजली एवं 05 किलोली से अधिक पानी की आवश्यकता होगी इसलिये चयनित की जाने भूमि, बिजली एवं जल स्रोत के निकट की जानी होगी।
- ✓ भूमि के चयन में कैचमेंट एरिया (जिन ग्राम पंचायतों में सेप्टिक टैंक अधिक संख्या में हैं) की निकटता सुनिश्चित किया जाना चाहिए (कम से कम 3000 सेप्टिक टैंक)
- ✓ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या वर्मी कम्पोस्ट इकाई से निकटता लाभकारी हो सकती है।

9. भविष्य में विस्तार की संभावना

- ✓ भविष्य में बढ़ती आवश्यकता के अनुसार प्लांट के विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि होनी चाहिए।

10. नगर विकास विभाग द्वारा निर्मित एफएसटीपी/एसटीपी, को-ट्रीटमेंट इकाई की भौगोलिक स्थिति के अनुसार भूमि का चिन्हांकन किया जाना उचित होगा।

अतः आप सभी से अनुरोध है कि अपने अपने जनपद में 02 FSTP अनुरूप भूमि चिन्हांकन/आवन्तन कराते हुये मिशन कार्यालय को 30 जून, 2025 तक सूचित का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ0प्र0।

संख्या-5/ /2024-25/02/2022 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, पंचायतीराज, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त, मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त, उपनिदेशक (प0), उ0प्र0।
4. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि उक्तानुसार स्थल चयन कराते हुये सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मिशन निदेशक

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ0प्र0।

5. जल निकासी एवं वर्षा जल प्रबंधन
 - ✓ उचित जल निकासी (drainage) की व्यवस्था
 - ✓ वर्षा के जल के निकास की समुचित व्यवस्था
6. पर्यावरणीय स्वीकृति और नियम
 - ✓ भूमि पर कोई पर्यावरणीय प्रतिबंध न हो (जैसे वन क्षेत्र, जलाशय, नदी तट आदि)
 - ✓ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमोदन के अनुरूप
 - ✓ स्थानीय समुदाय की सहमति
 - ✓ भूमि चयन से पहले ग्राम पंचायत/नगर निकाय और समुदाय से परामर्श आवश्यक
 - ✓ सामाजिक स्वीकृति से प्रोजेक्ट की स्थिरता सुनिश्चित होती है।
 - ✓ आबादी से दूरी, जलमराव की स्थिति, जलाशय से निश्चित दूरी आदि (According to SWM Rule 2016) का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए
7. भूमि का स्वामित्व
 - ✓ सार्वजनिक भूमि को प्राथमिकता दें, ताकि अधिग्रहण की प्रक्रिया आसान हो
 - ✓ यदि निजी भूमि ली जाए, तो स्पष्ट स्वामित्व दस्तावेज और सहमति आवश्यक है।
8. निकटवर्ती संसाधनों की उपलब्धता
 - ✓ बिजली, पानी, और अन्य आवश्यक संसाधन स्थल के समीप हों।
 - ✓ प्लांट के संचालन में 30 किलोवाट से अधिक बिजली एवं 05 किलोली से अधिक घानी की आवश्यकता होगी इसलिये चयनित की जाने भूमि, बिजली एवं जल स्रोत के निकट की जानी होगी।
 - ✓ भूमि के चयन में कैचमेंट एरिया (जिन ग्राम पंचायतों में सेप्टिक टैंक अधिक संख्या में हैं) की निकटता सुनिश्चित किया जाना चाहिए (कम से कम 3000 सेप्टिक टैंक)
 - ✓ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या वर्मी कम्पोस्ट इकाई से निकटता लाभकारी हो सकती है।
9. भविष्य में विस्तार की संभावना
 - ✓ भविष्य में बढ़ती आवश्यकता के अनुसार प्लांट के विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि होनी चाहिए।
10. नगर विकास विभाग द्वारा निर्मित एफएसटीपी/एसटीपी, को-ट्रीटमेन्ट इकाई की भौगोलिक स्थिति के अनुसार भूमि का चिन्हांकन किया जाना उचित होगा।

अतः आप सभी से अनुरोध है कि अपने अपने जनपद में 02 FSIP अनुरूप भूमि चिन्हांकन/आवन्टन कराते हुये मिशन कार्यालय को 30 जून, 2025 तक सूचित का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित कुमार सिंह)

मिशन निदेशक

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ०प्र०।

संख्या-5/555/2024-25/02/2022 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, पंचायतीराज, उ०प्र० शासन।
2. समस्त, मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त, उपनिदेशक (पं०), उ०प्र०।
4. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि उक्तानुसार स्थल चयन कराते हुये सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मिशन निदेशक

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ०प्र०।